न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 63/2023 G.C.M.S. No. 2023/283 दर्ज दिनांक : 22.12.2023

अपीलार्थी:

1. भारू पुत्र भीमा, जाति जाट, उम्र 75 वर्ष, निवासी गुंदाउ, तहसील सांचौर व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दमी बेवा मूला
2. रतना पुत्री मूला, जातियान तमाम जाट, निवासीगण गुंदाउ, तहसील सांचौर व जिला जालोर।
3. गोमाराम पुत्र रामा
4. जसाराम पुत्र रामा
5. तेजाराम पुत्र भीमा
6. वीरा पत्नि रामा
7. पूराराम पुत्र वीरमाराम, जातियान तमाम जाट, निवासीगण गुंदाउ, तहसील सांचौर व जिला जालोर। (रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 7 तक तक)
8. भूमिधारी तहसीलदार, सांचौर।
9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा साकड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2022 बअनवान दमी बनाम गोमाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2023

पैरोकार–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2022 बअनवान दमी बनाम गोमाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है, परंतु उसमें अपीलाण्ट के निशान अंगुष्ठ नहीं हैं, जबकि अन्य प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर व निशान अंगुष्ठ मौजूद है, न ही जवाब दावा के साथ तमाम प्रतिवादीगण के शपथ–पत्र ही लगाये गये हैं। वस्तुतः रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 से 08 ने आपस में मिलावट कर सी. आर.नं. 57/2023, पुलिस थाना सांचौर में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें अपीलाण्ट की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने पर अपर जिला न्यायाधीश सांचौर के न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। उस वकालातनामे पर कांट–छांट कर उक्त वकालातनामे का उपयोग अपीलाधीन प्रकरण में किया गया है, जबकि वस्तुतः अपीलाण्ट ने उक्त प्रकरण में किसी को वकील ही नहीं किया था। इकबाली जवाब दावा पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में पढ़, सुनकर, समझाया हो एवं सत्यापित किया हो, ऐसा भी कोई उल्लेख अभिलेख पर नहीं हैं, जबकि इकबाली जवाब दावा अथवा राजीनामा को पक्षकारों को सुना व समझाकर तस्दीक करवाना बाध्यकारी है, जो नहीं किया। अपीलाण्ट की तरफ से वकालातनामा अधीनस्थ के समक्ष पेश किया गया व उप कारागृह सांचौर के प्रभारी अधिकारी से हस्ताक्षरित है एवं अपीलाण्ट के साथ एक अन्य अभियुक्त के भी हस्ताक्षर थें, जिसमें कांट–छांट किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अन्य अभियुक्त का नाम भी काटा गया है, यह भी स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 03.08.2023 की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर एवं नक्शा मौका के आधार पर अपीलाधीन डिक्री पारित की हैं। दिनांक 03.08.2023 को तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई है, ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही बाला–बाला रेस्पोंडेण्ट्स को लाभान्वित करने के उद्देश्य से की गई हैं। तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 03.08.2023 को मौका निरीक्षण से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया व न ही मौके पर उसकी उपस्थिति दर्शाई हैं। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03.08.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं व पटवारी द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट तौर से प्रकट होता है। पटवारी की रिपोर्ट में मात्र हिस्सों का उल्लेख है, परंतु नक्शे में अलग–अलग हिस्से दर्शाये हैं, जिस पर भी किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा किया है। इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के बावजूद वादी पक्ष के लिए अपना केस साबित करना आवश्यक होता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी गवाह के बयान नहीं किये हैं तथा न ही दस्तावेज को साक्ष्य से प्रदर्शित करवाया है। अपीलाण्ट की अधिक भूमि खराब करने के उद्देश्य से निकट रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अधिक दूरी का रास्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि माफिक कानून पार्टिशन के प्रकरण में यह देखना होता है कि जहां तक संभव हो, कम भूमि खराब हो वहां रास्ता दिलवाया जाना चाहिए। नक्शे में दर्शित मार्क–ए, बी, सी लम्बी दूरी का रास्ता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में राजस्थान टिनेन्सी एवं पार्टिशन रूल्स की अनदेखी की हैं, जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2023 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए यह आज्ञापक था कि वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 में विहित प्रावधान अनुसार प्रकरण में विवाद्यक विरचित किया जाता, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो विवाद्यक विरचित किए गए तथा न ही पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत किया गया, बल्कि सीधे ही बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्रों का सम्यक निर्णयन व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाना आज्ञापक है। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2022 बअनवान दमी बनाम गोमाराम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जालौर

में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में आदेश 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली